रजिस्ट्री सं० डी-227

REGISTERED No. D-227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1970 (ज्येष्ठ 16, 1892)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1970 (JYAISTHA 16, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 अप्रैल 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th April 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

———शून्य———

———Nil———

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	511
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	629
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	53
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	673
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1981
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2541
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	341
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	643
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	217
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	95
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	363
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	93
पूरक संख्या 23—	
30 मई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	937
9 मई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े 5	949

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	511
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	629
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	53
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	673
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1981
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2541
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	341
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	643
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	217
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	95
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	363
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	93
SUPPLEMENT No. 23	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 30th May 1970	937
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 9th May 1970	949

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ।

Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other then the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1970

सं० 19-प्रेज़/70—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लंका जगन्ना पत्रुदु,
पुलिस निरीक्षक,
सोमपेटा, श्रीकाकुलम जिला,
आंध्र प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 मार्च, 1969 की रात्रि को बन्दूकों, देशी बमों, भालों तथा कुल्हाड़ियों से लैस उग्रवादियों के एक गिरोह ने गांव बाथुपुरम में डाका डाला और 40,000 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली । पुलिस निरीक्षक श्री लंका जगन्ना पत्रुदु डाकुओं को पकड़ने के लिए उस गांव की ओर रवाना हुये हालांकि डाकू पास के पहाड़ों में बच निकले थे । छः दिन तक तलाशी होती रही । 30 मार्च, 1969 को श्री पत्रुदु को सूचना मिली कि डाकू कोपासियाजोड्डी नामक पहाड़ी की चोटी पर छुपे हैं । पुलिस दल प्रातः लगभग 4-00 बजे पहाड़ी की तलहटी में जा पहुंचा । जब पुलिस दल पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो डाकुओं में से एक ने उन्हें देखा और उन पर एक देशी बम फेंका । श्री पत्रुदु पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे । उन्होंने अपना चेहरा बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया किन्तु उनका हाथ गम्भीर चोट के कारण बुरी तरह जख्मी हो गया और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी । अपनी चोट की परवाह किये बिना श्री पत्रुदु संक्रिया का संचालन करते रहें, डाकुओं पर गोली चलाई तथा उनमें से एक को पकड़ लिया ।

श्री लंका जगन्ना पत्रुदु ने उदाहरणीय नेतृत्व एवं साहस का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 1969 से दिया जायेगा ।

सं० 20-प्रेज़/70—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री यरगति वीर वैंकट सत्यनारायणमूर्ति,
पुलिस निरीक्षक,
श्री काकुलम जिला,
आंध्र प्रदेश ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19 मई, 1969 की रात्रि को लगभग 100 उपद्रवियों के एक गिरोह ने बोरीवंका गांव में दो भयंकर हत्याएं की और नकदी, जेवर आदि ले गये । पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर श्री सत्यनारायणमूर्ति ने तुरन्त डाकुओं को पकड़ने के लिये धावे का आयोजन किया । 26 मई, 1969 की रात्रि को सूचना मिली कि डाकू पथकोटा की पहाड़ियों में छुपे हैं । श्री सत्यनारायणमूर्ति तुरन्त उस ओर गये और उस क्षेत्र में खोज की किन्तु कोई परिणाम न निकला । 27 मई, 1969 को लगभग 03-00 बजे जब पुलिस दल लौट रहा था तो लगभग 30 व्यक्तियों के एक दल ने जो बन्दूकों, भालों तथा देशी बमों से लैस थे, उन पर आक्रमण कर दिया । पुलिस दल ने डाकुओं से आत्म-समर्पण करने को कहा किन्तु उन्होंने कोई परवाह नहीं की । इसके विपरीत उन्होंने पुलिस दल पर एक बम फेंका । डाकुओं ने पुलिस दल पर गोली भी चलाई तथा उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े । किन्तु श्री सत्यनारायणमूर्ति अविचलित रहे और अपने आदमियों से डाकुओं पर गोली चलाने को कहा और सात डाकुओं को मार दिया । अन्य डाकू कुछ हथियार व गोला-बारूद छोड़ कर भाग गये ।

श्री यरगंति वीर वैंकट सत्यनारायणमूर्ति ने उच्च कोटि का नेतृत्व एवं साहस का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 मई, 1969 से दिया जायेगा ।

सं० 21-प्रेज़/70—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी के नाम तथा पद

श्री कम्बुरू सुगुनाकारा राव,
पुलिस निरीक्षक,
श्रीकाकुलम जिला,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्रीमल्लापुरेड्डी सत्यनारायण,
पुलिस उप-निरीक्षक,
श्री काकुलम जिला,
आन्ध्र प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

अदिभटला कैलासम नामक व्यक्ति ने पार्वतीपूरम एजेंसी तथा अन्य तालुकों में अनेकों डकैतियां डाली थीं। 17 मार्च 1969 को पुलिस को सूचना मिली कि अदिभटला कैलासम तथा उसके गिरोह के कुछ सदस्य कालुवराजुपेटा गांव में छुपे हैं। पुलिस दल ने प्रातः लगभग 4 बजकर 30 मिनट पर गांव में छापा मारा और पशुओं के उस बाड़े को घेर लिया जिसमें डाकू छुपे हुए थे। श्री के० एस० राव ने डाकुओं से आत्मसमर्पण करने को कहा किन्तु उन्होंने कोई परवाह नहीं की। कैलासम तथा एक दूसरे डाकू ने भालों से पुलिस दल पर आक्रमण किया और उन पर गोली भी चलाई। श्री राव ने जवाब में गोली चलाई और उनमें से एक डाकू को मार गिराया। एक अन्य डाकू श्री राव की ओर लपका और उन पर आक्रमण किया। झड़प में श्री राव को सिर, छाती तथा दायें प्रबाहु में चोट आई, किन्तु वे अविचलित रहे और डाकू को टार्च मारी तथा उस पर काबू पा लिया। उन्होंने एक अन्य डाकू पर भी काबू पा लिया। उसी समय श्री एम० सत्यनारायण की अदिभटला कैलासम और दूसरे डाकू के साथ हाथापाई हुई। एक बन्दूक, कुछ देशी बम, भाले और एक चाकू कब्जे में कर लिए गये।

श्री केम्बुरू सुगुनाकारा राव तथा श्री मल्लापुरेड्डी सत्यनारायण ने असाधारण उत्साह एवं कर्त्तव्य-परायणता का प्रदर्शन किया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मार्च, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 22-प्रेज/70—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला झाबुआ,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3 सितम्बर 1969 की रात्रि को 15 बदमाशों का एक कुख्यात गिरोह पश्चिम निमाड़ जिले के एक गांव में डाका डालने के बाद एक ट्रक में वापिस आ रहा था, जो म्युनिसिपल नाके के समीप जोबाट में रुका। श्री राजेन्द्र सिंह ने जो रात्रि गश्त पर थे, जब ट्रक में बैठे हुओं को देखा तो वे उसका निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। परन्तु ट्रक चल पड़ा। श्री राजेन्द्र सिंह ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा परन्तु उसने ट्रक को और भी तेज कर दिया। श्री राजेन्द्र सिंह को संदेह हुआ। ट्रक में बैठे हुओं की अधिक संख्या व अपने अकेले होने की परवाह किये बिना, अपने जीवन को महान् संकट में डालकर वे चलते ट्रक के अन्दर कूद गये। वहां उन्होंने अपने आपको 15 सशस्त्र डाकुओं के बीच पाया। यद्यपि वे निशस्त्र थे फिर भी वे विचलित नहीं हुये और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया। ट्रक के धीमे होने पर डाकुओं ने निकल भागने का प्रयास किया। परन्तु श्री राजेन्द्र सिंह एक डाकू से लिपट गये। इसी बीच पुलिस कुमुक पहुंच गई। गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया और भारी मात्रा में लूट का माल तथा बन्दूकें, तीर कमानें भी बरामद की गईं।

श्री राजेन्द्र सिंह ने पहलशक्ति तथा उच्च कोटि के साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 सितम्बर, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 23-प्रेज/70—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शैजा रार्दिग,
सहायक कमाँडेंट, **(स्थानापन्न)**
1ली बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
मणिपुर। **(स्वर्गीय)**
श्री गगन बहादुर,
लांस नायक,
1ली बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 सितम्बर, 1969 को मणिपुर राइफल्स की एक टुकड़ी को उखरूल में कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के लिए तैनात किया गया। 24 सितम्बर, 1969 को जब यह टुकड़ी इम्फाल को वापिस आ रही थी तो लिटन गांव के समीप विद्रोहियों ने उस पर घात लगा कर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना अचानक तथा सुसंगठित था कि 12 पुलिस कर्मचारी जो कानवाई की प्रथम कुछ गाड़ियों में यात्रा कर रहे थे, गोली लगने के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप सात पुलिस कर्मचारी एक सहायक कमांडेंट सहित मारे गये। घायलों में पुलिस के उप-महानिरीक्षक तथा सुरक्षा आयुक्त भी शामिल थे।

श्री रार्दिग कानवाई के पिछले भाग में थे। जब आक्रमण किया गया तो वे उससे प्रभावित हुये बिना, गोलियों की बौछार में तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े जहां एक राइफलमैन ने 2 इंच मार्टर सहित मोर्चा जमा रखा था। उन्होंने विद्रोहियों पर फेंकने के लिए मार्टर बम तैयार किये और एक अन्य सहायक कमांडेंट के साथ मार्टर से बम बरसाये। विद्रोहियों को मार्टर गोलीबारी में उलझा कर श्री रार्दिग ने स्थिति का अनुमान लगाने तथा शत्रु की गोलाबारी में फंसे अधिकारियों व जवानों को निकालने के लिए साधन ढूंढने के लिए कानवाई के अग्रिम भाग में जाने का निश्चय किया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुये, उन्हें एक हल्की मशीनगन की गोली लगी जिससे कुछ मिनट बाद घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

जब उपद्रवियों पर धावे का आदेश दिया गया तो आड़ से बाहर आने वालों में श्री गगन बहादुर सर्वप्रथम थे। शत्रु की भारी

गोलाबारी की परवाह किये बिना, अपनी राइफल से गोली चलाते हुये तथा अपने साथियों को अनुसरण करने के लिये कहते हुए वे तेजी से, खुले क्षेत्र से होते हुये उपद्रवियों के अग्रिम मोर्चे की ओर बढ़े। अनेकों बार शत्रु की गोलाबारी के सम्मुख आने पर भी वे जवाबी हमले का नेतृत्व करते रहे और इसमें उपद्रवी इनके सामने नहीं टिक सके।

स्वर्गीय श्री रादिंग द्वारा स्थिति के सही मूल्यांकन तथा श्री शेज़ा रादिंग और श्री गगन बहादुर दोनों के शौर्य तथा बहादुरी के कार्य का ही परिणाम था कि विद्रोही घबड़ा गए और भाग खड़े हुए।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत श्री गगन बहादुर को विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर 1969 से दिया जायेगा।

सं० 24-प्रेज/70—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी के नाम तथा पद

श्री विटिंग मौमिन कीशिंग,
सहायक कमांडेंट,
1ली बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
मणिपुर।

श्री जीत बहादुर,
हवलदार,
1ली बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 सितम्बर 1969 को मणिपुर राइफल्स की एक टुकड़ी को उखरूल में कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के लिए तैनात किया गया। 24 सितम्बर 1969 को जब वह टुकड़ी इम्फाल को वापिस आ रही थी तो लिटन गांव के समीप विद्रोहियों ने उस पर घात लगा कर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना अचानक तथा सुसंगठित था कि 12 पुलिस कर्मचारी जो कानवाई की प्रथम कुछ गाड़ियों में यात्रा कर रहे थे, गोली लगने के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप सात पुलिस कर्मचारी एक सहायक कमांडेंट सहित मारे गये। घायलों में पुलिस के उप-महानिरीक्षक तथा सुरक्षा आयुक्त भी शामिल थे।

जब विद्रोहियों ने कानवाई पर घात लगाई तब श्री कीशिंग कानवाई के पिछले भाग में थे। गाड़ी में नीचे लेटने के बजाय वे गाड़ी से बाहर निकल आए और एक हल्की मशीनगन पकड़कर विद्रोहियों पर गोली चलाना आरम्भ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सहायक कमांडेंट श्री एस० रादिंग की सहायता से 2 इंच मार्टर से बम बरसाना भी आरम्भ कर दिया। बाद में हल्की मशीनगन की गोली से गम्भीर रूप से घायल श्री रादिंग को भी, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को गम्भीर संकट में डालते हुए वे एक सुरक्षित स्थान तक उठा कर ले गए। पुनः जब उन्हें पता चला कि पुलिस कर्मचारियों पर भारी गोलाबारी हो रही है, तो वे एक जीप-गाड़ी के हुड पर खड़े हो गये और विद्रोहियों पर गोली चलाने लगे और इस प्रकार उन्होंने आक्रमण करने वाले पुलिस दल को एक अत्यन्त आवश्यक आवरण प्रदान किया।

जब लांस नायक गगन बहादुर के नेतृत्व में किया गया धावा विफल कर दिया गया था यद्यपि लांस नायक स्वयं आगे निकल गये थे, हवलदार जीत बहादुर कूद कर आगे आये और उन्होंने अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते हुए और उन्हें खुले मैदान के बीच में से ले जाकर, उपद्रवियों के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया।

श्री विटिंग मौमिन कीशिंग तथा श्री जीत बहादुर ने उच्च कोटि का नेतृत्व, उत्कृष्ट वीरता एवं कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं। फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत श्री जीत बहादुर को विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर 1969 से दिया जायेगा।

सं० 25-प्रेज/70—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री टैरेंस जॉन क्विन्न,
पुलिस उप महा-निरीक्षक,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 सितम्बर 1969 को मणिपुर राइफल्स की एक टुकड़ी को उखरूल में कानून तथा व्यवस्था कार्यों के लिए तैनात किया गया। 24 सितम्बर 1969 को जब यह टुकड़ी इम्फाल को वापिस आ रही थी तो लिटन गांव के समीप विद्रोहियों ने उस पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना अचानक तथा सुसंगठित था कि 12 पुलिस कर्मचारी जो कानवाई की प्रथम कुछ गाड़ियों में यात्रा कर रहे थे, गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिसके परिणाम स्वरूप सात पुलिस कर्मचारी एक सहायक कमांडेंट सहित मारे गये। श्री टी० जे० क्विन्न सुरक्षा आयुक्त के साथ उस समय कानवाई की तीसरी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वे भी गोली से घायल हुए किन्तु वे भारी गोलाबारी के बीच गाड़ी से बाहर आए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को गम्भीर खतरे में डालते हुए विद्रोहियों पर प्रत्याक्रमण का आयोजन करने के लिए कानवाई के पिछले भाग की ओर बढ़े। जब वे लगभग 30 से 40 गज की दूरी तय कर चुके थे तो उस गाड़ी पर, जिसके नीचे उन्होंने आड़ ले रखी थी, गोलियों की बौछार होने लगी। गाड़ी से आने वाले टुकड़ों से उनके सिर के बाएं भाग, गरदन और दाहिने कन्धे पर घाव हो गये। किन्तु श्री क्विन्न अविचलित रहे और अनेक कष्टकारी घावों के बावजूद जवाबी हमले का आयोजन करने के लिए आगे बढ़े। श्री क्विन्न की इस बहादुरी से अन्य पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला और वे अपने-अपने मोर्चों से बाहर निकल आए और उन्होंने विद्रोहियों पर आक्रमण किया। तत्पश्चात् श्री क्विन्न ने सुरक्षा आयुक्त को, जो शत्रु की गोलाबारी से अपाहज हो गये थे और गाड़ी

से बाहर निकलने में असमर्थ थे, वहां से निकाला और अन्य स्थान को ले गये।

श्री टी० जे० क्विन्न द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व एवं वीरता पुलिस दल को एक भयानक स्थिति से निकालने में सहायक सिद्ध हुई।

2. यह पदक पुलिस पदक के बार से संबंधित संविधि के छटे खंडवाक्य के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

व० जे० मोर, राष्ट्रपति के उपसचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 मई 1970

सं० 25/119/67-डी० एच० (एस०)—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 25/119/67-डी० एच० (एस०), दिनांक 6 मई 1969 को अधिक्रान्त करते हुए राष्ट्रपति अपने प्रसाद से निम्नलिखित तीन अशासकीय सदस्यों को चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र की बाबत गृह मंत्री की सलाहकार समिति में 1-4-1969 से 2 वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट करते हैं :—

1. श्री शाम लाल गुप्ता, अध्यक्ष, राज्यक्षेत्रीय कांग्रेस (सत्ता-धारी) समिति, चण्डीगढ़।
2. श्री लछमन सिंह।
3. श्री अमर नाथ विद्यालंकार, भूतपूर्व संसद-सदस्य।

दिनांक 14 मई 1970

सं० 26/4/70-ए० एन० एल०—राष्ट्रपति, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह के संघ शासित क्षेत्र से सम्बन्धित गृह मंत्री की सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1. सरदार नेहचल सिंह,
2. श्री ए० पी० अब्दुल्ला कुट्टी,
3. श्री अजित कुमार नाग,
4. श्री मधु सूदन मंडल,
5. श्री मेवा लाल,
6. बाइस कप्तान उलयन, तथा
7. श्री दाऊद।

अ० द० पांडे, संयुक्त सचिव

(प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1970

संकल्प

सं० 8/4/70-पी०—राष्ट्रपति, यह निर्णय करते हैं कि भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) के तारीख 5-1-1966 के संकल्प सं० 40-3-65-ए० आर० (पी०) के अधीन स्थापित किया गया प्रशासनिक सुधार आयोग 30 जून, 1970 के अपराह्न से कार्य करना बंद कर देगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नि० कु० मुकर्जी, अपर सचिव

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन निर्माण, आवास और एवं नगर विकास मन्त्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1970

संकल्प

सं० एफ० 14-10/69-पी० एच० ई०—औद्योगीकरण और मोटर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण देश में विशेषतया प्रमुख शहरों में वायु दूषण स्वास्थ्य के लिये खतरा बनाता जा रहा है। अतः वायु दूषण के नियन्त्रण के लिये कानून बनाना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने देश में वायु दूषण पर एक समिति का गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री ए० के० राय, सलाहकार (ज० स्वा० ई०), केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन, स्वास्थ्य परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्रालय, (स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. डा० एम० एन० राव, निदेशक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य कलकत्ता।	सदस्य
3. डा० एम० एन० गुप्ता निदेशक, व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य
4. श्री वी० वी० श्रीवेकर (एस० ई०) स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।	सदस्य
5. केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र धनबाद का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
6. केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

7. श्री जे० एम० दवे, उपनिदेशक, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर — सदस्य-सचिव

समिति के निर्देश पद इस प्रकार होंगे :—

(क) देश में वायु दूषण के बारे में पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र करना और उसका समन्वय करना ।

(ख) देश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वायु दूषण के बारे में पहले किये गये कार्य का अध्ययन करना ।

(ग) हवा में वायु दूषण के विभिन्न संघटकों से होने वाले दूषण की अधिकतम सह्य मात्रा के मानक निर्धारित करना ।

(घ) हवा के नमूने लेने अथा उनके विश्लेषण की विधियां तथा साधन तैयार करना ।

(ङ) वायु मण्डलीय दूषण की रोक थाम के लिए कार्य संहित और नियमावली तैयार करना ।

(च) अन्य देशों में मौजुद वायु दूषण विषयक अधिनियमों का अध्ययन करना और भारत के लिए वायु दूषण नियंत्रण का एक प्रारूप तैयार करना ।

यह समिति जब कभी आवश्यक होगा और जिन स्थानों में अध्यक्ष आवश्यक समझेगा अपनी बैठक बुलायेगी । समिति ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह आवश्यक समझे सहयोजित कर सकती है ।

4. समिति अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि में प्रस्तुत कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को दे दी जाए ।

(1) लोक सभा सचिवालय ।
(2) राज्य सभा सचिवालय ।
(3) प्रधान मन्त्री सचिवालय ।
(4) मंत्रीमण्डल सचिवालय ।
(5) योजना आयोग ।
(6) राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव ।
(7) भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
(8) भारत सरकार के समस्त मन्त्रालय तथा विभाग ।
(9) समस्त राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र ।
(10) महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
(11) परमाणु कार्य विभाग ।
(12) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
(13) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
(14) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ।
(15) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई
(16) व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद ।
(17) केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई ।
(18) केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र, धनबाद ।
(19) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य, कलकत्ता ।
(20) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन; और
(21) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

अभिय भूषण मलिक, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मई 1970

सं० एफ० 1-18/68-वाई० एस०-1-(2)—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना सं एफ० 1-18/68-वाई० एस०-2 दिनांक 2 मार्च 1970 के क्रम में डा० पी० के० केलकर के स्थान पर,

श्री सूरज भान,
अध्यक्ष, अन्तर-विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल
तथा कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय,
चण्डीगढ़-1

को अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किया गया है ।

उपरोक्त नामांकन 13 नवम्बर 1970 से किया गया है ।

रोशन लाल आनन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 मई 1070

सं० 16/36-69-एस०-1—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार के भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं 16-19/60-एस०, दिनांक प्रथम जुलाई 1960 के साथ प्रकाशित भारतीय-सर्वेक्षण वर्ग 1 (भर्ती नियम) में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) यह नियम भारतीय-सर्वेक्षण वर्ग 1 भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. भारतीय-सर्वेक्षण वर्ग 1 (भर्ती नियम) में,—

(क) नियम 1 में "वर्ग 1 (भर्ती नियम)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वर्ग 1 भर्ती नियम, 1960" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे,

(ख) परिशिष्ट 1 में, पैरा 2 में, उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

(1) इंजीनियर अधिकारियों के कोर और सीधे भर्ती किए जाने वाले सिविलियनों, जिनके अन्तर्गत गणित-परामर्शदाता और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भी आते हैं, की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अधीक्षक-सर्वेक्षक के पद "अप्रवरण" पद माने जाएंगे और अधिष्ठायी प्रोन्नति इन प्रवर्गों के अधिकारियों की ज्येष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाएगी ।

(2) किसी उप-अधीक्षक-सर्वेक्षक या गनित परामर्श-दाता या ज्येष्ठ वैतानिक अधिकारी की अधीक्षक-सर्वेक्षक की श्रेणी में अधिष्ठायी प्रोन्नति के के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अपनी-अपनी श्रेणियों में या किसी अन्य समतुल्य सेवा में पांच वर्ष सेवा न की हो ।"

एस० के० सान्याल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1970

सं० एफ०-14(3)/69-एस० आर०-1—राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के संगम की नियमावली के नियम 89 के अन्तर्गत तत्काल से 31 जुलाई 1971 तक के लिए निम्नलिखित को निगम के निदेशक मंडल पर निदेशक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एल० एस० चन्द्रकान्त,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

2. श्री एस० आर० मेहता,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग),
नई दिल्ली ।

3. श्री आर० वी० रमानी,
निदेशक,
मेटुर केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन,
मेट्ट रडम, मद्रास ।

बी० एन० भारद्वाज, उप-सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 मई 1970

संकल्प

सं० 22(258)/69-पी० आर० एन० पी०—अखबारी कागज सलाहकार समिति, जो जनवरी 1968 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संकल्प सं० 22 (201)/66-पी० आर० एन० पी० सी०-2, दिनांक 19 जनवरी 1968 के द्वारा पुनर्गठित की गई थी, के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 18 जनवरी 1970 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ।

2. उपर्युक्त संकल्प में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में जो वर्तमान उपबन्ध है उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

अध्यक्ष : सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री

उपाध्यक्ष : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचनार्थ इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

एस० के० घोष, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th May 1970

No. 19-*Pres.*/70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name of the officer and rank.

Shri Lanka Jaganna Patrudu,
Inspector of Police,
Sompeta, Srikakulam District,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A gang of extremists armed with guns, country bombs, spears and axes committed a dacoity in village Bathupuram on the night of 24th March, 1969 and looted property forth Rs. 40,000. Shri L. J. Patrudu, Inspector of Police, proceeded to the village to apprehend the gang, who, however, absconded to the nearby hills. Shri Patrudu organised his police force into two parties which combed the hills for the dacoits. The search continued for six days. On 30th March, 1969, Shri Patrudu was informed that the dacoits were hiding at the top of a hill called Kopasiajoro. The police party reached the foot of the hill at about 4.00 a.m. When the party was going up the hill, one of the dacoits noticed them and hurled a country bomb at them. Shri Patrudu was leading the police party. He raised his hand to protect his face but received a grievous injury to his hand which was badly damaged and bled profusely. Without caring for his injury Shri Patrudu continued to direct the operations, opened fire on the dacoits and captured one of them.

Shri L. J. Patrudu showed exemplary leadership and courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st March, 1969.

No. 20-*Pres.*/70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name of the officer and rank.

Shri Yarraganti Veera Venkata Satyanarayanamurthy,
Inspector of Police,
Srikakulam District,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 19th May, 1969, a gang of about 100 lawless elements committed a gruesome double murder in the village of Borivanka and carried off cash and jewellery etc. On receipt of information by the police about the incident, Shri Y. V. V. Satyanarayanamurthy, Inspector of Police, organised raids to apprehend the dacoits. On the night of 26th May, 1969, information was received that the dacoits were hiding in the Pathakota hills. Shri Satyanarayanamurthy proceeded there and searched the area but without any result. When the police party was returning at about 3.00 a.m. on the 27th May, a gang of about 30 persons armed with guns, spears and country bombs attacked them. The police called on the dacoits to surrender but they paid no heed. On the contrary they hurled a bomb at the police party. They also fired on the police and advanced to surround them. Shri Satyanarayanamurthy remained calm and directed his men to fire on the dacoits, seven of whom were killed. The other dacoits ran away leaving behind some arms and ammunition.

Shri Y. V. V. Satyanarayanamurthy displayed leadership and courage of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th May, 1969.

No. 21-Pres./70.—The President is pleased to ward the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Andhra Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Kemburu Sugunakara Rao,
Inspector of Police,
Srikakulam District,
Andhra Pradesh.

Shri Mallapureddi Satyanarayana,
Sub-Inspector of Police,
Srikakulam District,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

One Adibhatla Kailasam had committed a number of dacoities in Parvathipuram Agency and other taluks. On the 17th March, 1969, information was received by the Police that Adibhatla Kailasam and some members of his gang were hiding in village Kaluvarajupeta. The Police party raided the village at about 4.30 A.M. and surrounded the cattle shed in which the dacoits were hiding. Shri K. S. Rao asked the dacoits to surrender but they did not pay any heed. Kailasam and another dacoit then attacked the Police party with spears and also fired at them. Shri Rao returned the fire and shot dead one of them. Another dacoit rushed at Shri Rao and attacked him. Shri Rao received injuries on his head, chest and right forearm in the scuffle. But he remained undetterred and hit the dacoit with his torch light and overpowered him. He also overpowered another dacoit. In the meantime Shri M. Satyanarayana grappled with Adibhatla Kailasam and another dacoit. A gun some country bombs, spears and a knife were captured.

Shri Kemburu Sugunakara Rao and Shri Mallapureddi Satyanarayana displayed outstanding courage and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th March, 1969.

No. 22-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name of the officer and rank.

Shri Rajendra Singh,
Sub-Inspector of Police,
District Jhabua,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 3rd September, 1969, a notorious gang of 15 bad characters after commiting a dacoity in a village in the West Nimar District was returning in a truck which stopped near the Municipal Naka, Jobat. Shri Rajendra Singh was on night patrol when he noticed the occupants of the vehicle and came forward to check it but the vehicle started moving off. Shri Rajendra Singh called to the driver to stop but he speeded up the truck. Shri Rajendra Singh became suspicious and without caring for the large number of occupants of the truck and the fact that he was alone, jumped into the moving vehicle at great risk to his life. He found himself in the midst of 15 armed dacoits. Even though he was himself unarmed, he was not deterred and forced the driver to stop the vehicle. When the vehicle was slowing down, the dacoits tried to slip away, but Shri Rajendra Singh grappled with one of them. In the meantime, Police reinforcement arrived and arrested 3 members of the gang and recovered a large quantity of booty as well as guns & bows and arrows.

Shri Rajendra Singh displayed initiative and courage of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd September, 1969.

No. 23-Pres./70.—The President is pleased to award the Presidents Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles :—

Names of the officers and ranks

Shri Shaiza Rathing, *(Deceased)*
Assistant Commandant (Officiating),
1st Battalion, Manipur Rifles.
Manipur.

Shri Gagan Bahadur,
Lance Naik,
1st Battalion, Manipur Rifles,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 23rd September, 1969, a contingent of Manipur Rifles was detailed for law and order duties at Ukhrul. While the contingent was returning to Imphal on the 24th September, 1969, it was ambushed by hostiles near village Litan. The attack was so sudden and well organised that 12 Police personnel who were travelling in the first few vehicles of the convoy sustained serious bullet injuries, as a result of which seven Police personnel including one Assistant Commandant were killed. The injured included the Deputy Inspector General of Police and the Security Commissioner.

Shri Rathing was in the rear of the convoy. When the attack was launched, he did not allow himself to be pinned down but rushed through a hail of bullets to where a rifleman had taken up position with a 2" mortar. There he started preparing mortar bombs for pounding the hostiles and with another Assistant Commandant operated the mortar. Having engaged the hostiles with mortar fire, Shri Rathing decided to proceed to the front of the convoy to ascertain the situation there and to devise means of rescuing the officers and men who had been caught in the enemy fire. While so advancing he was hit by a burst of LMG fire and succumbed to his injuries after a few minutes.

When a charge was ordered on the hostile positions, Shri Gagan Bahadur was the first to leave cover. In utter disregard of the heavy enemy fire he proceeded swiftly towards the front positions of the hostiles across an open area, firing with his rifle and urging his companions to follow him. Though repeatedly exposed to enemy bullets, he continued to lead the counter attack in the face of which the hostiles broke off the engagement.

It was because of the correct assessment of the situation by the late Shri Shaiza Rathing and gallant and brave action of both Shri Shaiza Rathing and Shri Gagan Bahadur that the hostiles were unnerved and fled.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Presidents Police and Fire Services Medal and consequently in the case of Shri Gagan Bahadur, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1969.

No. 24-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles :—

Names of the officers and ranks

Shri Whitting Momin Keishing,
Assistant Commandant,
1st Battalion, Manipur Rifles,
Manipur

Shri Jit Bahadur,
Havildar,
1st Battalion, Manipur Rifles,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd September, 1969, a contingent of Manipur Rifles was detailed for law and order duties at Ukhrul. While the contingent was returning to Imphal on the 24th September, 1969, it was ambushed by hostiles near village Litan. The attack was so sudden and well organised that 12 Police personnel who were travelling in the first few vehicles of the convoy sustained serious bullet injuries, as a result of which seven Police personnel including one Assistant Commandant, were killed. The injured included the Deputy Inspector General of Police and the Security Commissioner.

Shri Keishing was in the rear of the convoy, when the hostiles ambushed the convoy. He did not allow himself to be pinned down in the vehicle, but came out and taking up an L.M.G. started firing on the hostiles. After some time he also Started firing 2" mortar bombs with the assistance of Shri S. Rathing, Assistant Commandant. He also removed Shri Rathing, who was subsequently injured greviously with a burst of L.M.G., to a place of safety at great personal risk. Again when he found that the police personnel were under heavy fire he stood up on the hood of a jeep and fired on the hostiles and thus provided badly needed cover to the charging police party.

When the charge led by Lance Naik Gagan Bahadur was pinned down, though the Lance Naik himself got through, Havildar Jit Bahadur leaped forward and urging the men forward led them across open ground in a charge on the hostile position. In the face of this counter attack in strength the hostiles broke off the engagment.

Shri Whitting Momin Keishing and Shri Jit Bahadur displayed leadership of a high order as well as conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Jit Bahadur, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1969.

No. 25-Pres./70.—The President is pleased to award the Bar to *Police Medal* for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Rifles :—

Name of the officer and rank.
Shri Terence John Quinn,
Deputy Inspector General of Police,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 23rd September, 1969, a contingent of Manipur Rifles was detailed for law and order duties at Ukhrul. While the contingent was returning to Imphal on 24th September, 1969, it was ambushed by hostiles near village Litan. The attack was so sudden and well organised that 12 Police personnel who were travelling in the first few vehicles of the convoy sustained serious bullet injuries, as a result of which seven Police personnel including one Assistant Commandant were killed. At the time, Shri Quinn was travelling in the third vehicle in the convoy along with the Security Commissioner. He also received bullet injury but he came out of the vehicle in the midst of heavy fire and at grave personal risk proceeded to the rear of the convoy to organise a counter attack on the hostiles. When he had moved about 30 to 40 yards, a hail of bullets hit the vehicle under which he was taking cover. The splinters from the vehicle caused injuries on the left side of his head neck and right shoulder. But Shri Quinn remained unruffled and despite numerous painful injuries proceeded further to organise the counter attack. This gallant action by Shri Quinn inspired the other police personnel who came out of their positions and charged on the hostiles. Shri Quinn then evacuated the Security Commissioner who had been incapacitated by enemy fire and was unable to move out of the vehicle.

The leadership and gallantry displayed by Shri T. J. Quinn were instrumental in extricating the police party from a dangerous situation.

2. This award is made for gallantry under Clause Sixthly of the statutes governing the award of the Police Medal.

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 19th May 1970

No. 3/1/ECII/70.—The Speaker has been pleased to appoint Shri M. Thirumala Rao, as Chairman of the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May 1970 and ending on the 30th April, 1971.

M. S. SUNDARESAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 13th May 1970

No. 25/119/67-DH(S).—In supersession of this Ministry's Notification No. 25/119/67-DH(S), dated the 6th May, 1970, the President is pleased to nominate the following three non-official members to the Home Minister's Advisory Committee in respect of the Union Territory of Chandigarh for a period of 2 years with effect from 1-4-1969 :—

1. Shri Sham Lal Gupta, President Territorial Congress (R) Committee, Chandigarh.
2. Shri Lachhman Singh.
3. Shri Amar Nath, Vidyalankar, Ex-Member of Parliament.

The 14th May 1970

No. 26/4/70-ANL.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Home Minister, for the year ending 31st March, 1971 :—

1. Sardar Nehchal Singh,
2. Shri A. P. Abdulla Kutty,
3. Shri Ajit Kumar Nag,
4. Shri Madhu Sudhan Mondal,
5. Shri Mewa Lal,
6. Vice Captain Ulyan and
7. Shri Dawood.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

(Department of Administrative Reforms)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th May 1970

No. 3/4/70-P.—The President is pleased to decide that the Administrative Reforms Commission set up by the Government of India *vide* Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Resolution No. 40/3/65-AR(P) dated the 5th January, 1966 shall cease to function with effect from the afternoon of 30th June, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories etc. etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. K. MUKARJI, Addl. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1st May 1970

CORRIGENDUM

No. F. 3(7)-NS/70.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(7)-NS/70, dated the 28th February, 1970 published at pages 180-186 in Part I—Section 1 of the Gazette of India Extraordinary, dated the 28th February, 1970 in rule 11, in the third line

for "Income tax will be deducted at source.",

read "Income tax will not be deducted at source."

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 1st May 1970

No. 1/6/67-HC.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1/6/67-HC, dated the 16th September, 1967 the Government of India have decided to nominate Shri S. N. [illegible], Assistant Financial Advisor, Ministry of Finance as official member of the All India Handicrafts Board, New Delhi with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

YASHWANT SINHA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th May 1970

No. F. 14-10/69-PHE.—With the increase in industrialisation and increase in the number of automobiles, air pollution is becoming a source of health hazard particularly in important cities in this country. It has thus become necessary to provide legislation for the control of air pollution. For this purpose the Government of India have decided to set up a Committee on Air Pollution in the country. The Committee will consist of—

Chairman

1. Shri A. K. Roy, Adviser (PHE) Central Public Health Engineering Organisation of the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development, (Department of Health) Nirman Bhavan, New Delhi

Members

2. Dr. M. N. Rao, Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
3. Dr. M. N. Gupta Director Occupational Health Research Institute Ahmedabad,
4. Shri V. V. Shrivaikar (S.L.), Health Physics Division Bhabha Atomic Research Centre, Bombay.
5. A representative from the Central Mining Research Centre, Dhanbad
6. A representative from the Central Labour Institute, Bombay.

Member-Secretary

7. Shri J. M. Dave Deputy Director, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur.

The terms of reference of the Committee shall be—

(a) to collect and collate the materials already available in the country regarding air pollution;

(b) to study the work pertaining to air pollution conducted already by different agencies in the country;

(c) to lay down standards for the maximum tolerance of pollution of the various constituents of the pollutants in air;

(d) to devise methods and means to collect and analyse samples of air;

(e) to prepare a code of practice and manual for the prevention of atmospheric pollution; and

(f) to study air pollution acts existing in other countries and to prepare a draft air pollution control Bill for India.

3. The Committee will hold its meeting as and when necessary and at such places as the Chairman may consider necessary. The Committee may also co-opt such other persons as may be considered necessary.

4. The Committee will submit its report within a period of six months.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to—(i) Lok Sabha Secretariat, (ii) Rajya Sabha Secretariat, (iii) Prime Minister's Secretariat, (iv) Cabinet Secretariat, (v) Planning Commission, (vi) Private and Military Secretaries to the President, (vii) Comptroller and Auditor General of India, (viii) All Ministries and Departments of the Government of India, (ix) All the State Governments/Union Territories, (x) A.G.C.R., New Delhi, (xi) Department of Atomic Affairs, (xii) Indian Council of Medical Research, New Delhi, (xiii) Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, (xiv) Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur, (xv) Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, (xvi) Occupational Health Research Institute, Ahmedabad, (xvii) Central Labour Institute, Bombay, (xviii) Central Mining Research Centre, Dhanbad, (xix) All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, (xx) Central Public Health Engineering Organisation; and (xxi) Director General of Health Services, New Delhi.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. B. MALIK, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th May 1970

No. F. 13-4/68-SU.—The following amendments may be carried out in the Resolution of No. F. 13-4/68-SU, dated the 14th January, 1970 constituting a Kendriya Sanskrit Parishad with effect from 1st January, 1970.

1. Para 2(a)(x) of Resolution may be deleted.

2. Para 2(a)(xi) may be read as Para 2(a)(x)—"Internal Financial Adviser, Ministry of Education and Youth Services" in place of "a representative of Ministry of Finance".

3. Subsequent sub-paras may be re-numbered accordingly from 2(a)(xi) to 2(a)(xv).

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of this Corrigendum be communicated to all State Governments and Union Administration, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

K. D. BHARGAVA, Dy. Secy.

New Delhi-1, the 20th May 1970

No. 16/36/69-*S.1.*—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Survey of India Class I (Recruitment Rules) published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs' No. 16-19/60-S, dated the 1st July, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Survey of India Class I Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Survey of India Class I (Recruitment Rules).—

(a) in rule 1, for the words figure and brackets "Class I (Recruitment Rules)", the words, figures and brackets "Class I Recruitment Rules, 1960" shall be substituted;

(b) in Appendix I, in paragraph 2, for sub-paragraphs (1) and (2), the following shall respectively be substituted, namely :—

"(1) The posts of Superintending Surveyor will be treated as "Non-selection" posts for the purpose of promotion of Corps of Engineer Officers and the civilian direct recruits, including Mathematical Adviser and Senior Scientific Officer, and substantive promotion will be made on the basis of seniority-*cum*-fitness of these categories of officers.

"(2) No Deputy Superintending Surveyor or Mathematical Adviser or Senior Scientific Officer shall be considered for substantive promotion to the grade of Superintending Surveyor unless he has put in five years' service in the respective grades or any other equivalent service."

S. K. SANYAL, Under Secy.

New Delhi, the 20th May 1970

No. F. 14(3)/69-*SRI.*—The President is pleased to appoint, under Article 89 of the Articles of Association of the National Research Development Corporation of India, the following as Directors on the Board of Directors of the Corporation. with immediate effect up to the 31st July, 1971 :—

1. Shri L. S. Chandrakant, Joint Educational Adviser, Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

2. Shri S. R. Mehta, Joint Secretary, Ministry of Finance, (Department of Expenditure), New Delhi.

3. Shri R. V. Ramani, Director, Mettur Chemicals & Industrial Corporation, Metturdam, Madras-1.

B. N. BHARDWAJ, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi-1, the 22nd May 1970

No. 22(258)/69-*PR-NP.*—The term of the non-official members of the Newsprint Advisory Committee which was reconstituted in January 1968 *vide* Ministry of Information and Broadcasting's Resolution No. 22(201)/66-PR-NPC II, dated 18th January 1968, has been extended for a period of one year with effect from 18th January, 1970.

2. For the existing provision in regard to the Chairman and Deputy Chairman in the aforesaid resolution, the following shall be substituted :

Chairman

Minister of Information & Boardcasting and Communications.

Deputy Chairman

Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. GHOSE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970